

श्रीमान् अंचलाधिकारी

कोडरमा अंचल।

विषय:- भूमि निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रतिवेदन देने के संबंध में।

K.P. D.A.
महाशय
03/11/22

सविनय नम्र निवेदन है कि मैं सरस्वती देवी वी' हेमंती सिंह

ग्राम पुराना नगर पो० कोडरमा थाना कोडरमा

जिला कोडरमा का निवासी हूँ मुझे निम्न वर्णित

भूमि का विक्री करना है :-

1. मौजा पुराना नगर

2. थाना कोडरमा

3. थाना नं० 280

4. खाता नं० 130

5. प्लॉट नं० 1121 / 1362

6. रकबा 20 बी.

7. भूमि का किस्म कृषि

8. अद्यतन रसिद नं० कृषि भूमि का न. लिए वर्णित नहीं होना देना

9. दा० खारजि वाद संख्या 2517 / 2022-2023

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि उक्त वर्णित भूमि में निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रमाण पत्र देने की कृपा करें इसके लिए मैं श्रीमान का सदा अभारी रहूँगा।

आर्जुन जी

7304254442

विश्वासभाजन

सरस्वती देवी

हेमंती सिंह

न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा


भूमि सत्यापन अभिलेख सं०...398/2022

16.12.22
आवेदिका सरस्वती देवी पति दिलीप सिंह 2 हेमती सिंह, स्व० दीपक सिंह, साकिन-बरसोतियाबर, पोस्ट-कोडरमा, थाना-कोडरमा, जिला-कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है:-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	किस्म
पुरनानगर	280	130	1121/1362	20 डी०	बकास्त

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराए एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इस्तहार निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 24/12/2022 को प्रस्तुत करें।



16/12/22
अंचल अधिकारी,
कोडरमा

24.12.2022
30.12.2022
अभिलेख उपस्थापित।

आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-पुरनानगर, थाना नं०-280, खाता सं०-130, प्लॉट सं०-1121/1362, रकवा-40 डी० ऑनलाइन पंजी-11 के पृष्ठ सं०-68 भाग सं०-09 पर सरस्वती देवी पति स्व० दिलीप सिंह एवं हेमती देवी पति स्व० दीपक सिंह के नाम से दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में दा० खा० वाद सं०-2517/2022-23 दर्ज है। उक्त भूमि केवाला द्वारा हासिल है। भूमि बकास्त खाते की है। शपथ पत्र सं०-06 दिनांक-29.11.2022 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है। मौजा-पुरनानगर, थाना नं०-280, खाता सं०-130, प्लॉट सं०-1121/1362, रकवा-40 डी० मधे 20 डी० भूमि निबंधन योग्य है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है मौजा-पुरनानगर, थाना नं०-280, खाता सं०-130, प्लॉट सं०-1121/1362, रकवा-20 डी० भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts 1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामांतरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय का सुरक्षित रखेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधि सम्मत निर्गम लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।


30/12/22
अंचल अधिकारी,
कोडरमा